(1)

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce
Sub: (B.O) Business Organisation
B. Com Part - 1st
SNSRKS College, Saharsa

Introduction :- Meaning and Definition of Debentures
(ऋणपत्र का अर्थ एवं परिभाषा)

कभी-कभी कम्पनी जो भी पूंजी अंशधारियों से प्राप्त करती है, वह व्यवसाय के लिए पर्याप्त नही होती, अतः वह जनता मे ऋण-पत्र निर्गमित करके एक बड़ी धनराशि ऋण के रूप मे एकत्रित करती है। भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार, ऋण-पत्र की परिभाषा निम्न प्रकार है —

"ऋण-पत्र मे कम्पनी का ऋण स्टॉक, बॉण्ड और कोई भी दूसरी प्रतिभूति शामिल रहती है, चाहे इनमे कोई एक सम्पत्ति के आधार पर हो अथवा नही।"

ऋण-पत्रों का निर्गमन भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार (धारा 56) तब तक नही किया जा सकता जब तक इनका उल्लेख विवरण-पत्रिका मे न किया गया हो। इसका उलंघन करने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

धारा 118 के अनुसार ऋण-पत्र धारियों को मत (vote) देने का अधिकार नही होगा और इनका भी अंशधारियों के समान कम्पनी मे रजिस्टर रखा जाएगा।

ऋण-पत्रों के भेद :-
(Kinds of Debentures) :-

(1) रजिस्टर्ड ऋण-पत्र (Registered Debentures) :- ऐसे ऋण-पत्रों का पूरा विवरण कम्पनियों की पुस्तकों में रहता है। इनका हस्तान्तरण बिना कम्पनी की अनुमति के नहीं हो सकता है।

(2) विमोचनशील ऋण-पत्र (Redeemable Debentures) वे ऋण जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि में अथवा सूचना देने के पश्चात कम्पनी द्वारा हो सकता है, "विमोचनशील ऋण-पत्र कहलाते हैं।

(3) अविमोचनशील ऋण-पत्र (Irredeemable Debentures) :- ऐसे ऋण-पत्र जो स्थाई होते हैं और जिनका भुगतान (Repayment) कम्पनी के जीवन-काल में नहीं हो सकता, अविमोचनशील ऋण पत्र या स्थायी ऋण पत्र कहलाते हैं।

(4) बन्धकयुक्त ऋण-पत्र (Mortgaged Debentures) ऐसे ऋण पत्र जिनका निर्गमन करते समय कुछ सम्पत्तियों को जमानत के रूप में रखा जाता है, बन्धकयुक्त ऋण पत्र कहलाते हैं।

(5) परिवर्तित ऋण-पत्र (Convertible Debentures) :- किसी-किसी समय ऋण पत्रधारियों को यह

विकल्प (option) दिया जाता है कि वे अपने लिए हुए ऋण को एक निश्चित समय के अन्दर पूर्ण या अंश मे बदल सकते हैं। इस प्रकार के ऋण पत्रों को परिवर्तित ऋण-पत्र कहते हैं।

(6) साधारण या नग्न ऋण-पत्र (Simple or Naked Debentures) :- यदि कम्पनी ऋण-पत्र निर्गमित करते समय ऋणदाताओं को किसी तरह की जमानत नहीं देती है या कोई सम्पत्ति जमानत (Security) के रूप में नहीं रखती है तो ऐसे ऋण-पत्रों को साधारण या नग्न ऋण-पत्र कहते हैं।

(7) वाहक ऋण-पत्र (Bearer Debentures) :- वे ऋण पत्र जिनका हस्तान्तरण केवल सुपुर्दगी द्वारा ही हो जाता है, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। इनके धारक का नाम धारक का नाम कम्पनी के रजिस्टर में नहीं लिखा रहता है।

The end

Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of commerce
SNSRKS College
Saharsa